BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 249 OF 2025

IN THE MATTER OF:

Narendra Kushwaha & Ors .....Applicants

Versus

Union of India & Ors .....Respondents

INDEX

Sr. no	Particulars	Page no.
01	Rejoinder on behalf of the Applicant to the reply/affidavit filed by Respondent Nos. 2, 4, 5, and 6	1-15
02	to the Rejoinder Affidavit	16
03	to the Photograph of Bhagahar Wetland	17-18
04	to the Photograph of Sarai Barai Wetland	19-21

दिनांक 09.12.2025

आवेदक/आपत्तिकर्ता

(बी.एल. भास्कर)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 249 OF 2025

IN THE MATTER OF:

Narendra Kushwaha & Ors .....Applicants

Versus

Union of India & Ors .....Respondents

Rejoinder on behalf of the Applicant to the reply/affidavit filed by Respondent Nos. 2, 4, 5, and 6

श्रीमान् जी,

विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि उपर्युक्त प्रकरण में माननीय न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए गए थे। उक्त नोटिस के अनुक्रम में प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत जबाब/उत्तर जानबूझकर तथ्यों को छिपाते हुए, भ्रामक, अधूरा तथा वास्तविक स्थिति से परे प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5 और 6 ने अपने नोटिस-जवाब में स्वयं स्वीकार किया है कि संबंधित तालाबों/झीलों के भीतर **कांक्रीटयुक्त निर्माण, अतिक्रमण, जलकुंभी की अत्यधिक वृद्धि एवं ठोस अपशिष्ट का अनियमित निस्तारण** किया गया है, जिसकी पुष्टि उन्होंने संलग्न फोटोग्राफों के माध्यम से भी की है। तथापि, प्रतिवादियों ने वास्तविक क्षति को अत्यधिक कम करके दर्शाया है तथा प्रस्तुत जबाब/उत्तर में अवैध निर्माण, अतिक्रमण, ठोस अपशिष्ट, जलकुंभी व अन्य पर्यावरणीय क्षरण को हटाने अथवा रोकने हेतु किसी भी प्रकार की **कार्यवाही, कार्ययोजना या समयबद्ध पुनर्स्थापनात्मक प्रयास** का उल्लेख नहीं किया है।

आवेदकगण का उद्देश्य मात्र यह है कि संबंधित **तालाबों/झीलों को उन विभागीय गतिविधियों एवं अवैध हस्तक्षेपों से संरक्षित किया जाए**, जिनके कारण प्राकृतिक जलनिकायों की पारिस्थितिकी पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आवेदक का प्रयोजन किसी प्रकार की कानूनी पेचीदगी उत्पन्न करना नहीं है, बल्कि **तालाबों/झीलों के भीतर किए गए कांक्रीट निर्माण, अतिक्रमण, जलकुंभी, ठोस अपशिष्ट, मलबा एवं गाद को हटवाकर उन्हें मूल स्वरूप में पुनः बहाल** कराना है। इसलिए, आवेदकगण प्रार्थना करते है कि माननीय न्यायाधिकरण प्रकरण के **तथ्यों, अभिलेखों, भौतिक साक्ष्यों एवं प्रतिवादियों की स्वीकारोक्तियों** के आधार पर *स्वयं भी संज्ञान* लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश, आदेश तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु उपयुक्त कार्यवाही सुनिश्चित करने की कृपा करे। इन्हीं तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आवेदक प्रतिवादियों के नोटिस-जवाब के

विरुद्ध इस रिजॉइंडर के माध्यम से आवेदक विनम्रतापूर्वक निम्नलिखित कथन प्रस्तुत कर रहा है:-

Hon'ble Sir, It is most respectfully submitted that in the above-mentioned matter, the Hon'ble Tribunal had issued notices to the respondents. In pursuance thereof, the replies submitted by the respondents are deliberately misleading, incomplete, factually incorrect, and intended to conceal the true state of affairs. Respondent Nos. 2, 4, 5 and 6 have themselves admitted in their reply that concrete structures, encroachments, excessive proliferation of water hyacinth, and irregular dumping of solid waste inside the concerned ponds/lakes have indeed taken place, which they have also affirmed through the photographs annexed with their reply. However, the respondents have grossly understated the actual extent of damage, and in their reply they have not mentioned any action taken, action proposed, restoration plan, or time-bound steps for removal or prevention of illegal constructions, encroachments, solid waste, water hyacinth, or other environmental degradation.

The sole objective of the applicants is to protect the concerned ponds/lakes from departmental activities and unlawful interventions that are causing serious adverse impact on the ecology of these natural water bodies. The applicants do not intend to engage in unnecessary legal complications; rather, the purpose is to ensure removal of concrete constructions, encroachments, water hyacinth, solid waste, debris and silt from the ponds/lakes and to restore them to their original natural condition.

Therefore, the applicants humbly pray that the Hon'ble Tribunal may kindly take *suo motu* cognizance as well, on the basis of the facts, records, physical evidence, and admissions made by the respondents, and issue appropriate directions, orders, and necessary measures for protection and restoration of the environment.

On the basis of the above facts and available evidence, the applicants respectfully submit the following statements through this Rejoinder in response to the reply filed by the respondents:-

(google translate)

1. यहकि आवेदक ने माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष मूल आवेदन (**ओ.ए. सं. 249/2025**) दाखिल कर उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी में स्थित 12 महत्वपूर्ण वेटलैंड्स/जल निकायों पर हो रहे अतिक्रमण और **स्थायी कंक्रीट निर्माण कार्यों** के संबंध में शिकायत की थी, जिनमें सरायबरई, सराही, भगहर, नटकौली, चकौरा, भितरी, बनगांवा, खुर्दमऊ, बैनाटीकहार, सलारपुर, कमरावां और सादुल्लापुर आदि शामिल हैं। आवेदक ने अपने आवेदन के साथ संलग्न **फोटोग्राफ (पृष्ठ 21 से 32)** के माध्यम से जलमग्न भूमि पर **पाथ-वे, सेल्फी पॉइंट आदि के कंक्रीट युक्त निर्माण कार्यों** को दिखाया था, जिससे जल

निकाय के कंक्रीटीकरण की प्रगति स्पष्ट होती है। माननीय न्यायाधिकरण ने अपने **आदेश दिनांक 21.05.2025** के तहत यह स्वीकार किया कि यह ओ.ए. **"पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन और जल निकायों के संरक्षण से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा"** उठाता है और इसके लिए सभी प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने हेतु नोटिस जारी किया गया था।

1. That the applicant had filed the Original Application (O.A. No. 249/2025) before the Hon'ble Tribunal regarding the encroachment and permanent concrete construction activities taking place on 12 important wetlands/water bodies situated in District Barabanki, Uttar Pradesh, which include Saraybarai, Sarahi, Bhagahar, Natkauli, Chakaura, Bhitri, Banaganwa, Khurdamau, Baina Tikahar, Salarpur, Kamarawan and Sadullapur etc. The applicant, through the photographs annexed with the application (Pages 21 to 32), had shown the concrete constructions such as pathways, selfie points, etc., on the waterlogged land, indicating the ongoing concretization of the water bodies. The Hon'ble Tribunal, through its order dated 21.05.2025, acknowledged that this O.A. raises "an important issue relating to environmental compliance and conservation of water bodies" and issued notices to all respondents for filing their respective replies.
(google translate)

2. यह कि प्रत्युत्तर (Rejoinder) प्रतिवादी संख्या 2 (CPCB), 4 (UPPCB), 5 (जिलाधिकारी, बाराबंकी), और 6 (यूपी स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी) द्वारा दायर किए गए संबंधित जवाबों/शपथ-पत्रों के खंडन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादियों का जवाब, विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या 5 और 6 न केवल आवेदक की मूल शिकायत की पुष्टि करते हैं, बल्कि माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष **तथ्यों को छिपाने का प्रयास** भी करते हैं।

2. That the present Rejoinder is being submitted in rebuttal to the respective replies/affidavits filed by Respondent No. 2 (CPCB), Respondent No. 4 (UPPCB), Respondent No. 5 (District Magistrate, Barabanki), and Respondent No. 6 (UP State Wetland Authority). The replies of the respondents, particularly those of Respondent Nos. 5 and 6, not only substantiate the applicant's original grievance but also attempt to conceal material facts before the Hon'ble Tribunal.
(google translate)

3. यह कि आश्चर्यजनक रूप से, प्रतिवादी संख्या 5 (जिलाधिकारी, बाराबंकी) और 6 (यूपी स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी) द्वारा **अतिक्रमण और स्थायी निर्माण** के संबंध में दिए गए सीधे खंडन के विपरीत, स्वयं **प्रतिवादी संख्या 4 (UPPCB)** द्वारा दायर निरीक्षण रिपोर्ट (**ANNEXURE R4/1**) आवेदक की मूल शिकायत की **पुष्टि** करती है। **पहला**, यह रिपोर्ट **भगहर वेटलैंड** के संबंध में स्पष्ट रूप से **"वेटलैण्ड के समीप निर्माण कार्य पाया गया"** का उल्लेख करती है, जो जिलाधिकारी (R-5) के **'कोई अतिक्रमण नहीं'** के दावे को सीधे काटती है। **दूसरा**, आवेदक की जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के गंभीर नुकसान की

शिकायत को सही ठहराते हुए UPPCB ने लगभग सभी 12 वेटलैंड्स के जल नमूनों को **Class D** या **Class E** (जो स्नान या पारंपरिक उपचार के बाद भी पीने के लिए अनुपयुक्त है) के रूप में वर्गीकृत किया है। **तीसरा**, रिपोर्ट में **भितरी वेटलैंड** के **सूखे** होने और वहाँ **खेती की गतिविधियों** का होना, **अतिक्रमण** और **अनुचित प्रबंधन** के आरोपों को प्रमाणित करता है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 4 का तथ्यात्मक जवाब अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिवादी संख्या 5 और 6 द्वारा तथ्यों को छुपाने के प्रयास को उजागर करता है और आवेदक के मूल मामले को बल देता है।

3. It is surprising that**,** contrary to the categorical denials made by Respondent No. 5 (District Magistrate, Barabanki) and Respondent No. 6 (UP State Wetland Authority) regarding encroachment and permanent construction, the inspection report (ANNEXURE R4/1) submitted by Respondent No. 4 (UPPCB) itself confirms the applicant's original complaint.

First, the report clearly mentions with respect to the Bhagahar Wetland that *"construction activity was found near the wetland,"* which directly contradicts the District Magistrate's (R-5) claim of 'no encroachment'.

Second, supporting the applicant's grievance regarding severe damage to the aquatic ecosystem, the UPPCB has classified the water samples of almost all 12 wetlands as Class D or Class E (which is unfit for bathing or even for drinking after conventional treatment).

Third, the report's observation that the Bhitari Wetland had dried up and that agricultural activities were taking place there substantiates the allegations of encroachment and improper management.

Thus, the factual reply of Respondent No. 4 indirectly exposes the attempts of Respondent Nos. 5 and 6 to conceal facts and reinforces the applicant's original case.

(google translate)

4. यह कि **प्रतिवादी संख्या 4 (UPPCB)** द्वारा निरीक्षण के दौरान लिए गए फोटोग्राफ आवेदक के **कंक्रीटीकरण और अतिक्रमण** के आरोपों की प्रत्यक्ष पुष्टि करते हैं: **भगहर वेटलैण्ड** के निरीक्षण में स्पष्ट रूप से "वेटलैण्ड के समीप **निर्माण कार्य पाया गया**" दर्ज किया गया है, जो आवेदक के कंक्रीट निर्माण की शिकायत का समर्थन करता है। इसी प्रकार, **सरायबरई वेटलैण्ड** के संबंध में भी रिपोर्ट में स्पष्ट है कि "वेटलैण्ड के समीप **पक्की गोल हट, सडक व अन्य निर्माण कार्य पाया गया**"। इसके अतिरिक्त, **खुर्दमऊ वेटलैण्ड** पर गाँव के निवासियों द्वारा **ठोस अपशिष्ट (Solid Waste) का निस्तारण** किए जाने और **कमरावां वेटलैण्ड** में सीमेंटेट रन ऑफ और आस-पास **खेती की गतिविधियों** का पाया जाना स्पष्ट रूप से इन जलीय निकायों के दुरुपयोग और अतिक्रमण का प्रमाण है, जिससे प्रतिवादी संख्या 5 और 6 का **'कोई अतिक्रमण नहीं'** का दावा पूर्ण रूप से निराधार सिद्ध होता है।

4. That the photographs taken during the inspection by Respondent No. 4 (UPPCB) directly substantiate the applicant's allegations regarding concretization and encroachment: In the inspection of the Bhagahar Wetland, it has been clearly recorded that *"construction activity was found near the wetland"*, which supports the applicant's complaint regarding concrete construction. Similarly, with respect to the Saraibarei Wetland, the report clearly states that *"a permanent round hut, road, and other construction works were found near the wetland."*

In addition to this, the disposal of solid waste by the village residents at the Khurdmau Wetland, and the presence of cemented run-off and agricultural activities around the Kumarawan Wetland, clearly demonstrate the misuse and encroachment of these water bodies. This conclusively proves that the claim of Respondent Nos. 5 and 6 that "there is no encroachment" is completely baseless.

(google translate)

5. यह कि रिकॉर्ड संख्या 47 पर प्रतिवादी संख्या 4 (UPPCB) ने भगहर वेटलैण्ड के निरीक्षण में स्पष्ट रूप से "वेटलैण्ड के समीप निर्माणाधीन कार्य पाया गया" जो आवेदक के कंक्रीट निर्माण की शिकायत का समर्थन करता है।

5. That on record number 47, Respondent No. 4 (UPPCB), during the inspection of the Bhagahar Wetland, clearly found "construction work underway near the wetland," which supports the applicant's complaint regarding concrete construction. (google translate)

6. यह कि रिकॉर्ड संख्या 54 पर प्रतिवादी संख्या 4 (UPPCB) ने खुर्दमऊ के निरीक्षण में स्पष्ट रूप से "वेटलैण्ड में घरों से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट को पाया गया" जो आवेदक की शिकायत का समर्थन करता है।

6. That at record number 54, Respondent No. 4 (UPPCB), during the inspection of Khurdmau, clearly stated that 'solid waste discharged from households was found in the wetland', which supports the applicant's complaint. (google translate)

7. यह कि रिकॉर्ड संख्या 107 से 110 पर प्रतिवादी संख्या 5 (जिलाधिकारी, बाराबंकी) ने भगहर वेटलैण्ड के निरीक्षण में स्पष्ट रूप से "वेटलैण्ड के समीप निर्माण कार्य पाया गया" जो आवेदक के कंक्रीट निर्माण की शिकायत का समर्थन करता है।

7. That, in the records from page numbers 107 to 110, Respondent No. 5 (District Magistrate, Barabanki) has clearly stated during the inspection of Bhagahar Wetland that "construction activity was found near the wetland", which substantiates the applicant's complaint regarding concrete construction. (google translate)

8. यह कि प्रतिवादी संख्या 4 एवं 5 द्वारा प्रेषित फोटोग्राफों में उपरोक्त वेटलैंड्स/झीलों में जलकुंभी एवं खरपतवार की अत्यधिक वृद्धि स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। जो न केवल जल प्रवाह एवं जल विनिमय को अवरुद्ध कर रहे हैं, बल्कि जल की गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित कर झील/वेटलैंड की समग्र पारिस्थितिकी को नष्ट कर रहे हैं। इनके कारण घुलित ऑक्सीजन का स्तर घट रहा है, जलीय जीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे है तथा वेटलैंड्स/झीलों का प्राकृतिक पुनर्भरण एवं जैव विविधता गंभीर रूप से प्रभावित हो

रहा है। अतः प्रतिवादियों द्वारा संलग्न फोटोग्राफ स्वयं दर्शाते हैं कि संबंधित वेटलैंड्स की स्थिति अत्यंत क्षतिग्रस्त है तथा तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है।

8. That the photographs submitted by Respondent Nos. 4 and 5 clearly depict the excessive growth of water hyacinth and weeds in the aforesaid wetlands/lakes. Such growth not only obstructs the natural flow and exchange of water but also severely deteriorates the water quality, thereby destroying the overall ecology of the lake/wetland. Due to this, the level of dissolved oxygen is decreasing, the natural habitat of aquatic organisms is being destroyed, and the natural recharge capacity and biodiversity of the wetlands/lakes are being gravely affected. Hence, the photographs annexed by the respondents themselves reveal that the condition of the concerned wetlands is highly degraded and requires immediate remedial action. (google translate)

9. यह कि प्रतिवादी संख्या 4 एवं 5 द्वारा प्रेषित फोटोग्राफों में उपरोक्त वेटलैंड्स/झीलों की जलमग्न भूमि पर कंक्रीटयुक्त निर्माणाधीन कार्य स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के दिशा-निर्देशों एवं आदेशों का घोर उल्लंघन है।

9. That in the photographs submitted by Respondent Nos. 4 and 5, the concrete construction activities on the inundated land of the aforesaid wetlands/lakes are clearly visible, which constitutes a gross violation of the directions and orders of the Hon’ble Supreme Court as well as the Hon’ble National Green Tribunal. (google translate)

10. यह कि बाराबंकी जिले की रामनगर तहसील की फतेहपुर रेंज में स्थित भगहर झील वास्तव में एक विशाल प्राकृतिक झील है, जो लगभग 74 हेक्टेयर में फैली है और जिले की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। जो सरकारी अभिलेखों में नदी के नाम से दर्ज है।

10. That the Bhagahar Lake, situated in the Fatehpur Range of Ramnagar Tehsil in Barabanki district, is in fact a large natural lake spread over approximately 74 hectares and is one of the biggest lakes in the district. It is recorded as a “river” in the official government records.

11. यह कि आवेदक खंडन करता है कि **वेटलैंड्स (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017** के अंतर्गत किसी जल निकाय को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राजस्व रिकॉर्ड में 'झील' या 'तालाब' के रूप में विशिष्ट प्रविष्टि होना अनिवार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त, 'नदी की भूमि' होने पर भी, यह एक **जलीय पारिस्थितिकी तंत्र** (aquatic ecosystem) का हिस्सा है, जिस पर किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण या अतिक्रमण प्रतिबंधित है, और इस प्रकार राजस्व वर्गीकरण को बदलकर अतिक्रमण को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता।

आवेदक यह भी निवेदन करता है कि **UPPCB की रिपोर्ट** में पाया गया कि **भितरी वेटलैंड** निरीक्षण के दौरान **सूखा** था और **खेती की गतिविधियाँ** (farming activities) चल रही थीं, जो वेटलैंड पर अतिक्रमण और उपेक्षा का स्पष्ट प्रमाण है और Wetlands Rules, 2017 का सीधा उल्लंघन है।

11. That the applicant denies the contention that, under the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017, a waterbody must mandatorily have a specific entry as a 'lake' or 'pond' in the revenue records in order to receive protection. Furthermore, even if it is classified as 'river land', it still forms an integral part of the aquatic ecosystem, upon which any kind of permanent construction or encroachment is prohibited; hence, no change or interpretation of revenue classification can justify such encroachment. The applicant further submits that the UPPCB report records that the Bhitari Wetland was found dry during inspection and farming activities were being carried out therein, which is clear evidence of encroachment and neglect of the wetland and constitutes a direct violation of the Wetlands Rules, 2017. (google translate)

12. यहकि प्रतिवादी संख्या 4 (UPPCB) की निरीक्षण रिपोर्ट, जिसमें अधिकांश जल निकायों का वर्गीकरण **Class D** या **Class E** पाया गया है, यह स्पष्ट रूप से आवेदक के मूल आरोप का **समर्थन** करती है कि वेटलैंड्स की पारिस्थितिकीय अखंडता को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाया गया है। Class D जल स्नान (bathing) के लिए भी अनुपयुक्त होता है, और Class E जल पारंपरिक उपचार के बाद भी पीने के लिए अनुपयुक्त होता है, जिसका अर्थ है कि **सलारपुर** और **खुर्दमऊ** जैसे वेटलैंड्स में प्रदूषण की स्थिति **अत्यधिक गंभीर** है और जलीय जीवन के लिए खतरा है। इसके अतिरिक्त, UPPCB की रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि वेटलैंड्स में आसपास के **गाँवों से रन-ऑफ** (जैसे भगहर, बैनाटीकहार, सलारपुर) आ रहा है, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है, और यह अनुचित प्रबंधन तथा अतिक्रमण का सीधा परिणाम है।

12. That the inspection report of Respondent No. 4 (UPPCB), wherein most of the water bodies have been classified as Class D or Class E, clearly supports the applicant's primary allegation that the ecological integrity of the wetlands has been severely compromised. Class D water is unfit even for bathing, and Class E water is unfit for drinking even after conventional treatment, which indicates that the pollution levels in wetlands such as Salarpur and Khurdmau are extremely severe and pose a threat to aquatic life. Furthermore, the UPPCB report also records that run-off from nearby villages (such as Bhagahar, Bainatikhar, and Salarpur) is entering the wetlands, thereby increasing pollution, which is a direct consequence of mismanagement and encroachment. (google translate)

13. यह कि आवेदक का निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 4 (UPPCB) की निरीक्षण रिपोर्ट, जिसमें सभी वेटलैंड्स के जल नमूनों का विश्लेषण किया गया, आवेदक के इस मूल आरोप की **पुष्टि** करती है कि वेटलैंड्स की पारिस्थितिकीय अखंडता को गंभीर रूप से क्षति पहुँची है, क्योंकि अधिकांश जल निकायों का वर्गीकरण **Class D** या **Class E** पाया गया है (जहाँ Class E जल गंभीर प्रदूषण और जलीय जीवन के लिए खतरे को दर्शाता है, जैसा कि सलारपुर और खुर्दमऊ में है)। इसके अतिरिक्त, UPPCB की रिपोर्ट में दर्ज गाँवों से आ रहा रन-ऑफ भी प्रदूषण का स्पष्ट प्रमाण है, जो अनुचित प्रबंधन का परिणाम है। वहीं, प्रतिवादी संख्या 2 (CPCB) का जवाब केवल एक **प्रक्रियात्मक कदम** है, जिसमें उन्होंने केवल UPPCB को अनुपालन हेतु पत्र भेजे हैं; यह इस तथ्य को स्थापित करता है कि प्रदूषण नियंत्रण और अतिक्रमण हटाने का वास्तविक एवं प्रभावी कार्य राज्य स्तरीय अधिकारियों (UPPCB, DM, UPSWA) द्वारा नहीं किया गया है, और CPCB के ये पत्र धरातल पर हो रहे पर्यावरण के नुकसान को रोकने में **असफल** रहे हैं।

13. That the applicant submits that the inspection report of Respondent No. 4 (UPPCB), wherein the water samples of all the wetlands were analyzed, unequivocally confirms the applicant's primary allegation that the ecological integrity of the wetlands has been severely damaged, as most of the water bodies have been classified as Class D or Class E (Class E indicating severe pollution and a threat to aquatic life, as seen in the case of Salarpur and Khurdmau). In addition, the run-off entering the wetlands from the villages mentioned in the UPPCB report is clear evidence of pollution, which is a direct consequence of improper management. Moreover, the reply of Respondent No. 2 (CPCB) is merely a procedural formality, wherein they have only issued letters to UPPCB for compliance; this establishes that the actual and effective work of pollution control and removal of encroachment has not been carried out by the State authorities (UPPCB, District Magistrate, UPSWA), and that the letters issued by CPCB have failed to prevent the ongoing environmental degradation on the ground. (google translate)

14. यहकि उपरोक्त तथ्यों और प्रतिवादी संख्या 4 (UPPCB) की निरीक्षण रिपोर्ट के विरोधाभासी साक्ष्यों के आधार पर, यह स्पष्ट है कि जिला बाराबंकी के **वेटलैंड्स/जल निकायों पर अतिक्रमण और कंक्रीटीकरण की कार्यवाही चल रही है**, जिसके कारण उनकी पारिस्थितिकीय स्थिति **गंभीर रूप से प्रदूषित और क्षतिग्रस्त** हो गई है। यह दर्शाता है कि जिलाधिकारी (R-5) और यूपी स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी (R-6) का जवाब केवल अपने **दायित्व से बचने** (avoiding liability) और माननीय न्यायाधिकरण से **तथ्यों को छिपाने** के उद्देश्य से दायर किया गया है।

14. That, based on the above facts and the contradictory evidence contained in the inspection report of Respondent No. 4 (UPPCB), it is evident that encroachment and concretization activities are ongoing

over the wetlands/water bodies of District Barabanki, resulting in severe pollution and ecological degradation. This clearly demonstrates that the replies submitted by the District Magistrate (R-5) and the Uttar Pradesh State Wetland Authority (R-6) have been filed merely to evade their statutory responsibility and to conceal the true facts from this Hon'ble Tribunal. (google translate)

15. यहकि यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी संख्या 5 (जिलाधिकारी, बाराबंकी) और 6 (यूपी स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी) ने अपने जवाबों में वेटलैंड्स पर **अतिक्रमण और स्थायी निर्माण** से साफ इनकार किया है, जबकि आवेदक ने अपने मूल आवेदन में संलग्न **तस्वीरों (पृष्ठ 20 से 32)** के माध्यम से जल निकायों की जलमग्न भूमि पर स्पष्ट रूप से दिख रहे **कंक्रीट युक्त निर्माणाधीन कार्यों** (जैसे पाथ-वे, सेल्फी पॉइंट) का साक्ष्य प्रस्तुत किया था, जिसका माननीय न्यायाधिकरण ने अपने **आदेश दिनांक 21.05.2025** में भी उल्लेख किया था। **आश्चर्यजनक रूप से**, प्रतिवादी संख्या 5 और 6 ने अपनी निरीक्षण रिपोर्टों में इन महत्वपूर्ण **फोटोग्राफिक साक्ष्यों** को **पूरी तरह से नजरअंदाज** किया है और इस प्रत्यक्ष प्रमाण के संबंध में **कोई खंडन (rebuttal) या तथ्यात्मक उत्तर** नहीं दिया है, जो उनके **'कोई अतिक्रमण नहीं'** के दावे को संदेहास्पद बनाता है।

15. That it is noteworthy that Respondent No. 5 (District Magistrate, Barabanki) and Respondent No. 6 (UP State Wetland Authority) have categorically denied the existence of encroachment and permanent constructions on the wetlands in their replies, whereas the applicant, through the photographs annexed with the original application (pages 20 to 32), had submitted clear evidence of concrete construction activities (such as pathways and selfie points) visibly taking place on the inundated land of the water bodies, which had also been acknowledged by this Hon'ble Tribunal in its order dated 21.05.2025. Surprisingly, Respondent Nos. 5 and 6 have completely ignored these crucial photographic evidences in their inspection reports and have offered no rebuttal or factual response regarding this direct proof, rendering their claim of "no encroachment" doubtful. (google translate)

16. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 एवं 3 द्वारा अब तक माननीय न्यायाधिकरण द्वारा जारी नोटिस का कोई उत्तर दाखिल नहीं किया गया है, जो न्यायाधिकरण के आदेशों की गंभीर अवहेलना एवं अवमानना के समतुल्य है।

16. That Respondent Nos. 1 and 3 have not filed any reply to the notice issued by the Hon'ble Tribunal till date, which amounts to a serious disregard and contempt of the orders of the Tribunal. (google translate)

अतिरिक्त कथन
Additional Statements

17. **यह कि उपरोक्त तालाबों/झीलों की सुरक्षा एवं संरक्षण के हित में**, प्रतिवादीगण संख्या 2, 4, 5 एवं 6 द्वारा दाखिल उत्तर/शपथपत्र, जो असत्य, अपूर्ण, भ्रामक एवं तथ्यहीन है, को निरस्त अथवा अप्रभावी घोषित किया जाना अत्यावश्यक है, क्योंकि प्रतिवादीगण ने प्रासंगिक तथ्यों को जानबूझकर छिपाया है तथा वास्तविक पर्यावरणीय हानि/क्षति को कमतर दर्शाया है।

17. That, in the interest of protecting and conserving the aforesaid ponds/lakes, it is imperative that the reply/affidavit filed by Respondent Nos. 2, 4, 5, and 6—being false, incomplete, misleading, and devoid of material facts—be quashed or rendered ineffective, as the respondents have deliberately concealed relevant facts and understated the actual environmental damage. (google translate)

18. यह कि उपरोक्त तालाबों/झीलों पर हुए अतिक्रमण, कंक्रीटयुक्त/पक्के निर्माणों तथा जलकुंभी, प्लास्टिक, मलबा, ठोस अपशिष्ट एवं अन्य कचरे की वास्तविक स्थिति को माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करने हेतु, एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाना आवश्यक है, जिससे तथ्यों का निष्पक्ष, वैज्ञानिक एवं सम्यक् सत्यापन हो सके।

18. That, in order to clearly present before this Hon'ble Tribunal the actual situation regarding the encroachments, concrete/pucca constructions, and the presence of water hyacinth, plastic, debris, solid waste, and other garbage in the aforesaid ponds/lakes, it is necessary to constitute a high-level committee so that the facts may be impartially, scientifically, and thoroughly verified. (google translate)

19. यह कि मूल आवेदन में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न फोटोग्राफों तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत उत्तर, अभिलेखों एवं दावों का स्थलीय निरीक्षण कर विस्तृत एवं निष्पक्ष आख्या तैयार करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाना आवश्यक है, ताकि वास्तविक स्थिति माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रतिपादित हो सके।

19. That, in order to conduct a site inspection of the facts stated in the original application and the annexed photographs, as well as the replies, records, and claims submitted by the respondents, and to prepare a detailed and impartial report, it is essential that a high-level committee be constituted, so that the actual situation may be clearly presented before this Hon'ble Tribunal. (google translate)

20. **यह कि उपरोक्त तालाबों/झीलों की पर्यावरणीय सुरक्षा एवं संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु**, इनकी वर्तमान पारिस्थितिक एवं पर्यावरणीय स्थिति का वैज्ञानिक एवं स्वतंत्र आकलन कराने का निर्देश संबंधित सक्षम वैज्ञानिक एजेंसी को दिया जाना आवश्यक है।

20. That, to ensure the environmental protection and conservation of the aforesaid ponds/lakes, it is necessary that a competent scientific agency be directed to conduct a scientific and independent assessment of their current ecological and environmental status. (google translate)

21. **यह कि उपरोक्त तालाबों/झीलों को पुनर्जीवित एवं संरक्षित रखने के उद्देश्य से**, उनमें से जलकुंभी, प्लास्टिक, मलबा, ठोस अपशिष्ट एवं अन्य कचरे को हटाकर वैज्ञानिक पद्धति से पुनरुद्धार (Restoration) किए जाने की विस्तृत कार्ययोजना प्रतिवादीगण द्वारा तैयार कर माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाना अनिवार्य है।

21. That, with the objective of rejuvenating and preserving the aforesaid ponds/lakes, it is essential that the respondents be directed to prepare and submit before this Hon'ble Tribunal a detailed restoration plan, which shall include the removal of water hyacinth, plastic, debris, solid waste, and other garbage, and the scientific restoration of these water bodies. (google translate)

22. **यह कि उपरोक्त तालाबों/झीलों की मूल भौगोलिक सीमा को संरक्षित रखने एवं किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को प्रभावी रूप से रोकने हेतु**, प्रतिवादीगण को निर्देशित किया जाए कि वे राजस्व अभिलेखों के अनुसार GPS/GIS आधारित विधि से पूर्ण सीमांकन (Demarcation) कराकर स्थायी पिलर स्थापित करें तथा सीमांकन नक्शा माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष अभिलेखित करें।

22. That, in order to preserve the original geographical boundaries of the aforesaid ponds/lakes and to effectively prevent any form of encroachment, the respondents may be directed to carry out complete demarcation using GPS/GIS-based methods in accordance with the revenue records, to install permanent boundary pillars, and to place the demarcation map on record before this Hon'ble Tribunal. (google translate)

23. **यह कि उपरोक्त तालाबों/झीलों को मूल स्वरूप में संरक्षित रखने तथा उनकी पर्यावरणीय अखंडता बहाल करने हेतु**, प्रतिवादीगण को निर्देशित किया जाए कि वे **उपरोक्त तालाबों/झीलों** के भीतर किए गए सभी कंक्रीटयुक्त/पक्के निर्माण, अवैध संरचनाएँ एवं अतिक्रमण को तत्काल हटाकर आख्या माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष अभिलेखित करें।

23. That, in order to preserve the aforesaid ponds/lakes in their original form and to restore their environmental integrity, the respondents may be directed to immediately remove all concrete/pucca constructions, illegal structures, and encroachments made within these ponds/lakes, and to place the action-taken report on record before this Hon'ble Tribunal. (google translate)

24. यह कि उपरोक्त **तालाबों/झीलों** का विधिवत सीमांकन, भू-राजस्व अभिलेखों का स्थल पर मिलान तथा निर्माण-प्रतिबंधित क्षेत्र का भौतिक रूप से चिन्हांकन न किए जाने के कारण, इन जल निकायों पर निरंतर अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण हो रहा है। सीमांकन और प्रतिबंधित क्षेत्र को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने हेतु जिम्मेदार विभागों द्वारा लापरवाही बरतने से न केवल तालाबों का प्राकृतिक स्वरूप नष्ट हो रहा है, बल्कि वर्षाजल संचयन क्षमता भी गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है, जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरणीय असंतुलन और स्थानीय जल-संकट को बढ़ावा दे रही है, जिसे प्रतिवादियों द्वारा प्रेषित जवाब/उत्तर और मूल आवेदन में सलंग्न फोटोग्राफ में स्पष्ट देखा जा सकता है। विडंबना यह है कि जिन अधिकारियों पर तालाबों/झीलों के संरक्षण और सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वही इन्हें कांक्रीटीकरण कर नष्ट कर रहे हैं।

24. That due to the failure to properly demarcate the aforesaid ponds/lakes, to verify the land revenue records on site, and to physically mark the construction-prohibited zone, continuous illegal construction and encroachment are taking place on these water bodies. Owing to the negligence of the concerned departments in clearly displaying the demarcation and the restricted zone, not only is the natural character of the ponds being destroyed, but their rainwater retention capacity is also being severely affected, which directly contributes to environmental imbalance and the local water crisis—facts which can be clearly observed in the replies submitted by the respondents as well as in the photographs annexed with the original application. Ironically, the very officials entrusted with the protection and conservation of these ponds/lakes are themselves destroying them by carrying out concretization. (google translate)

प्रार्थना

अतः माननीय न्यायाधिकरण से विनम्र प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रतिवादीगण संख्या 2, 4, 5 एवं 6 द्वारा दाखिल असत्य एवं भ्रामक उत्तर/शपथपत्र को निरस्त किया जाए, उपरोक्त तालाबों/झीलों पर हुए अतिक्रमण, निर्माण एवं प्रदूषण की वास्तविक स्थिति के निष्पक्ष सत्यापन हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित की जाए, मूल आवेदन एवं प्रतिवादीगण के अभिलेखों का स्थलीय निरीक्षण कर आख्या तैयार कराई जाए, तालाबों/झीलों की वर्तमान पर्यावरणीय स्थिति का वैज्ञानिक मूल्यांकन संबंधित एजेंसी से कराया जाए, जलकुंभी, प्लास्टिक, मलबा एवं ठोस अपशिष्ट

हटाकर वैज्ञानिक पद्धति से पुनर्जीवन की कार्ययोजना प्रतिवादीगण से तैयार कराई जाए, राजस्व अभिलेखों के अनुसार GPS/GIS आधारित सीमांकन कर स्थायी पिलर स्थापित कर सीमांकन नक्शा अभिलेखित कराया जाए, तथा तालाबों/झीलों के भीतर सभी कंक्रीटयुक्त निर्माण, अवैध संरचनाएँ एवं अतिक्रमण तत्काल हटाकर की गई कार्रवाई की आख्या न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश प्रदान किया जाए, साथ ही अन्य उपयुक्त आदेश पारित किए जाएँ जिन्हें माननीय न्यायाधिकरण न्यायोचित समझे।

Prayer

Therefore, it is most respectfully prayed before this Hon'ble Tribunal that, in view of the aforesaid facts and circumstances, the false and misleading reply/affidavit filed by Respondent Nos. 2, 4, 5, and 6 be quashed; that a high-level committee be constituted for an impartial verification of the actual condition of encroachments, constructions, and pollution affecting the aforesaid ponds/lakes; that a site inspection of the original application and the records submitted by the respondents be conducted and a factual report be prepared; that the current environmental and ecological status of the ponds/lakes be scientifically assessed by a competent agency; that the respondents be directed to prepare a scientific restoration plan involving the removal of water hyacinth, plastic, debris, and solid waste; that GPS/GIS-based demarcation be carried out as per the revenue records and permanent pillars be installed, and that the demarcation map be placed on record; and that the respondents be directed to immediately remove all concrete constructions, illegal structures, and encroachments within the ponds/lakes and to file an action-taken report before this Hon'ble Tribunal.

It is further prayed that any other appropriate order(s), as this Hon'ble Tribunal may deem fit and proper in the interest of justice and environmental protection, may also kindly be passed. (google translate)

दिनांक 09.12.2025

आवेदक
एडवोकेट बी.एल. भास्कर
(आर.टी.आई. एवं पर्यावरण कार्यकर्ता)
पता-इन्द्रा नगर, प्रेम गंज, झांसी, उत्तर प्रदेश 284003
ई-मेल- nacindia30@gmail.com
मो.7985307216

9.12.25
B. L. Bhaskar (Adv.)
Reg. No.-UP00216/06
C.O.P. No.-07948
Mob.-94536657

आवेदक
नरेन्द्र कुशवाहा
(आर.टी.आई. एवं पर्यावरण कार्यकर्ता)
पता- पिछोर, थाना नवाबाद, झांसी, उत्तर प्रदेश 284128
ई-मेल-narendrakumarjhansi82@gmial.com
मो. 9452041529

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 249 OF 2025

IN THE MATTER OF:

Narendra Kushwaha & Ors ......Applicants

Versus

Union of India & Ors .....Respondents

शपथ-पत्र

शपथकर्ता मिनजानिव- एडवोकेट बी.एल. भास्कर (आर.टी.आई. एवं पर्यावरण कार्यकर्ता) पुत्र स्व. श्री मनके भास्कर पता-इन्द्रा नगर, प्रेम गंज, झांसी, उत्तर प्रदेश 284003

मैं शपथकर्ता उपरोक्त शपथपूर्वक निम्नलिखित ब्यान करता हूं:-

1. यह कि शपथकर्ता उपरोक्त प्रकरण में आवेदक (Applicant No. 3) संख्या 3 है तथा हालात प्रकरण से पूरी तरह से वाकिफ हैं।
2. यह कि प्रतिवादीगण संख्या 2, 4, 5 एवं 6 द्वारा दाखिल उत्तर/शपथपत्र के विरुद्ध शपथकर्ता/आवेदक की ओर से प्रस्तुत रिजॉइंडर में सही-सही तथ्यों में तहरीर किया गया है। जिन्हें पुनः संक्षिप्ता के कारण शपथपत्र में दोहराया नहीं जा रहा है इसलिए उन्हें इस शपथ-पत्र में अडॉप्ट किया जा रहा है जो इस शपथ-पत्र का भाग माना जावें।

मैं शपथकर्ता तस्दीक करता हूं कि शपथकर्ता/आवेदक की ओर से प्रेषित रिजॉइंडर की विषय-वस्तु मेरे निजी ज्ञान से सब सच व सही है कोई बात झूठी नहीं है यह तस्दीक आज दिनांक 09-12-2025 को वमुकाम अहाता कचहरी झांसी में की गयी।

Serial No. 1306 Date 9/12/25
Certified that the foregoing statement sworn before me this day at ....
by shri ....
whom the contents of this affidavit have been read over and explained and who is identified by shri ....
Received the legal fee Rs 35/- each

SATISH KUMAR TRIPATHI
Advocate
Notary Govt. of India, Jhansi (U.P.)

शपथकर्ता

9.12.25

B. L. Bhaskar (Adv.)
Reg. No.-UP00215/05
C.O.P. No.-079484

Bhagahar Wetland

P.T.O. 18

Bhagahar Wetland

Sarai Barai Wetland

P.T.O. 20

Sarai Barai Wetland

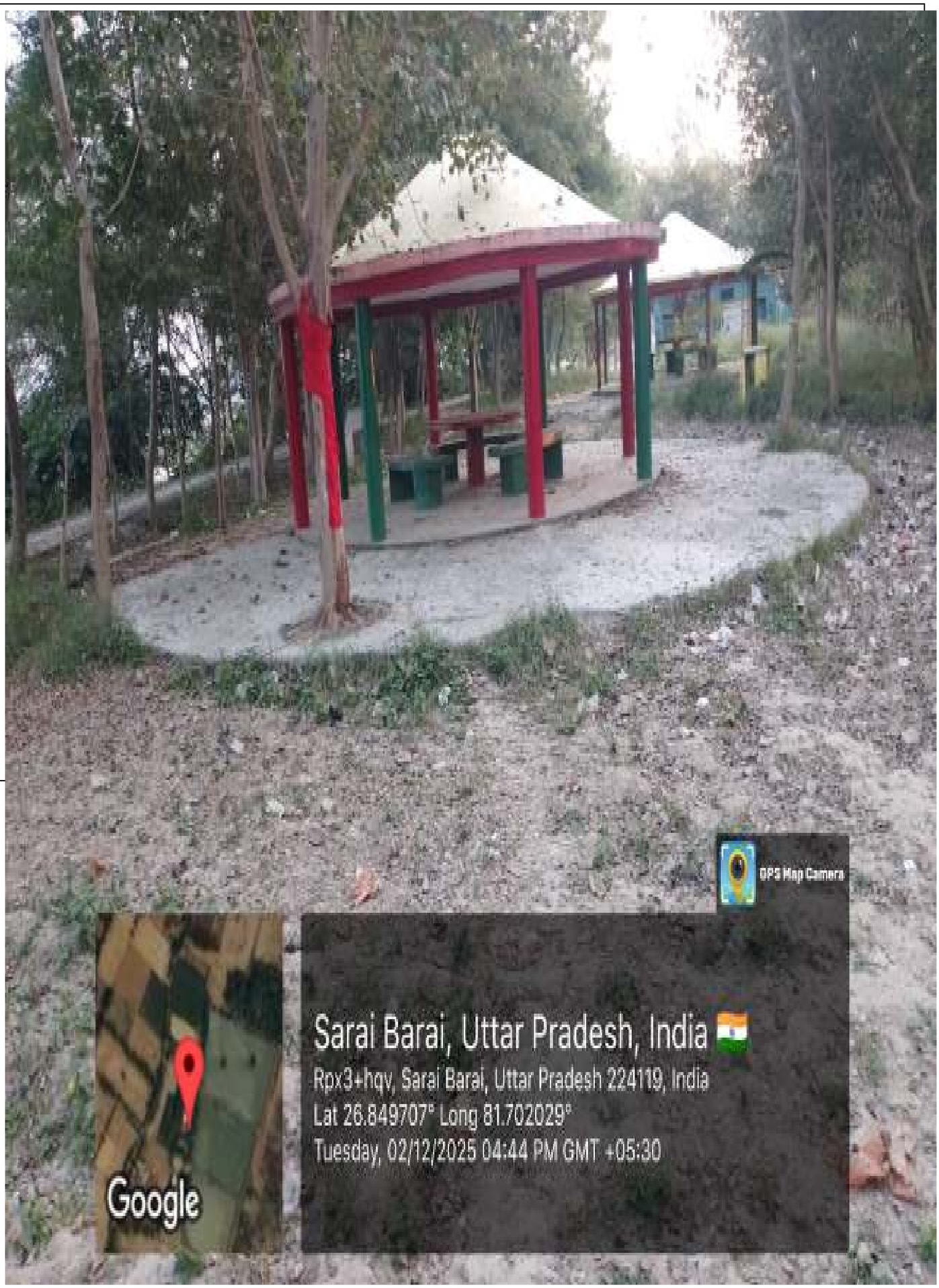

P.T.O. 21

Sarai Barai Wetland